संख्या-64/2024/1656/18-2-2024-18-2099/246/2022

प्रेषक,

प्रांजल यादव
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

2- समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग2 लखनऊ: दिनांक: 17 दिसम्बर, 2024

विषयः- उ०प्र० सचिवालय के इतर अधीनस्थ राजकीय कार्यालयों के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों एवं वाहन चालकों को वर्दी / वर्दी नवीनीकरण/वर्दी धुलाई भत्ते के पुनरीक्षण के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग के पत्र संख्या-15//2024-वे0आ0-2-587/दस-2024-ई0प0(क0सं0-1784343), दिनांक 28-9-2024 के क्रम में अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि वेतन समिति की संस्तुतियों (2016) के क्रम में श्री राज्यपाल उपरोक्त विषयक शासनादेश संख्या-1651/18-2-12-47(एस0पी0)/10, दिनांक 24-12-2012 को ऑशिक रूप से संशोधित / अतिक्रमित करते हुए उ०प्र० सचिवालय से इतर राजकीय विभागों के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों एव राजकीय वाहन चालकों को प्रस्तर-क में अंकित धनराशि की सीमा के अधीन प्रस्तर 'ख' में अंकित ग्रीष्म कालीन वर्दी एवं शीत कालीन वर्दी तथा वर्दी धुलाई भत्ता निम्नानुसार दिये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

प्रस्तर-'क'

वर्दी की दरें

क्रम संख्या	मद का नाम	पूर्व निर्धारित धनराशि की सीमा	वर्तमान निर्धारित धनराशि की सीमा
1	2	3	4
1	ग्रीष्म कालीन वर्दी हेतु	680.00	1020.00
2	शीत कालीन वर्दी	1310.00	1965.00
3	जूता	164.00	246.00
4	कम्बल	200.00	300.00
5	छाता	96.00	144.00
6	रेनकोट	500.00	750.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

रेनकोट, जिसका अधिकतम मूल्य 0 750/- हो, प्रत्येक 05 वर्ष पर उपलब्ध कराया जायेगा।

<u>प्रस्तर-ख</u>

चतुर्थ श्रेणी कार्मिकों एवं वाहन चालक संवर्ग के कार्मिकों को उपरोक्त अधिकतम धनराशि की सीमा के प्रतिबन्ध के अधीन निम्नानुसार वर्दी सिलाकर अनुमन्य करायी जाय :-

<u>(अ) चतुर्थ श्रेणी पुरूष कर्मियों के लिये</u>

ग्रीष्म कालीन वर्दी	02 पैन्ट टेरीकाट (सूटिंग कपड़े में)	प्रत्येक 04 वर्षों में एक बार
	04 बुशर्ट पूरी बॉह-टेरीकाट (सर्टिंग कपड़े में)	
	साफा 18 मीटर (सूती कपडे में) जिन्हें पूर्व में साफा अनुमन्य था।	
शीत कालीन वर्दी	01 ऊनी कोट	प्रत्येक 03 वर्षों में एक बार
	01 ऊनी पैन्ट	
	01 ऊनी कम्बल	

(ब) चतुर्थ श्रेणी महिला कर्मियों के लिये

ग्रीष्म कालीन वर्दी	02 साड़ी टेरीकाट	प्रति वर्ष
	02 ब्लाउज टेरीकाट	
	02 पेटीकोट सूती	
शीत कालीन वर्दी	01 ऊनी कोट	प्रत्येक 03 वर्षों में एक बार
	01 ऊनी कम्बल	

(स) वाहन चालकों के लिये

ग्रीष्म कालीन वर्दी	02 पैन्ट टेरीकाट (सूटिंग कपड़े में)	प्रत्येक 04 वर्षों में एक बार
	04 बुशर्ट पूरी बॉह-टेरीकाट (सर्टिंग कपड़े में)	
शीत कालीन वर्दी	01 ऊनी कोट	प्रत्येक 03 वर्षों में एक बार
	01 ऊनी पैन्ट	
	01 ऊनी कम्बल	
	01 जोडी जूता/मोजा	प्रत्येक 02 वर्षों में एक बार
	छाता	प्रत्येक 05 वर्षों में एक बार

http://shasanadesh.up.gov.in

(द) वर्दी धुलाई भत्ते की दरें

पद नाम	पूर्व दरें	वर्तामान दरें
चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	40.00	60.00
वाहन चालक	60.00	90.00

2- सचिवालय से इतर चतुर्थ श्रेणी के किन-किन कर्मचारियों को वर्दी अनुमन्य होगी उसका विवरण निम्नानुसार है -

मौलिक रूप से नियुक्त एवं 05 वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके समस्त स्थायी जमादार अर्दली, दफ्तरी, पत्र वाहक, कार्यालय चपरासी तथा राजकीय वाहन चालक।

3- इस श्रेणी के उन्हीं कार्मिकों को साफा दिया जायेगा जिन्हें पूर्व में साफा उपलब्ध था। विभागाध्यक्ष एवं समकक्ष अधिकारियों के साथ सम्बद्ध चतुर्थ श्रेणी कार्मिकों को जनपद/मण्डल स्तर पर कार्यात्मक आधार पर परीक्षण कर केवल चिन्हित कार्मिकों को ही साफा उपलब्ध कराया जाये।

4- सचिवालय से इतर विभिन्न राजकीय विभागों के जिन कर्मचारियों को वर्दी अथवा वर्दी भत्ता अनुमन्य कराया जा रहा है, उन्हें ड्यूटी के समय वर्दी पहनना अनिवार्य होगा। वर्दी पहनकर ड्यूटी पर न आने वाले उक्त श्रेणी के कर्मचारियों के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जाय।

5- उक्त पुनरीक्षित दरे एवं व्यवस्थायें तत्काल प्रभाव से लागू होंगी।

6- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-वे0आ0-2-37/दस-2024, दिनांक 09 नवम्बर, 2024 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय

प्रांजल यादव
सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी/लेखा परीक्षा) प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन उ0प्र0, कानपुर।
3- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग- 6/ वित्त (सामन्य) अनुभाग-1
5- वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-1/2 व वित्त (आय-व्ययक) अनुभांग-1
6- सचिवालय के समस्त अनुभाग।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

पुष्पेंद्र सिंह
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।